व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
मति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
पू.मु./04 भोपाल-03-05.

रजि. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108 भोपाल 01 05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2003—वैशाख 8, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 2981-251-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21 अप्रैल, 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १७ सन् २००३.

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००३.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ६ का संशोधन.
३. धारा १७ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.
४. धारा २२ का संशोधन.
५. धारा २५ का संशोधन.
६. धारा ५१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २००३.

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००३.

[दिनांक २१ अप्रैल, २००३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ अप्रैल, २००३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००३ है.

धारा ६ का संशोधन.

२. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (क्रमांक १३ सन् १९९८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ६ की उपधारा (१) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय को मध्यप्रदेश राज्य के बाहर या विदेश में किसी संस्था के सहयोग से अपने किसी भी अध्यापन या गवेषणा क्रियाकलापों को भागत: या पूर्णत: चलाने के लिये अनुज्ञा दे सकेगी.".

धारा १७ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

तकनीकी शिक्षा सेवा के माध्यम से भर्ती.

"१७. कुल सचिव और अन्य अधिकारियों के ऐसे अन्य काडर के पद मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के अधिकारियों से भरे जाएंगे. ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त कर कुलाधिपति द्वारा पद भरा जाएगा.".

धारा २२ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (१) में, खण्ड (बाईस) में, शब्द "पांच लाख रुपए" के स्थान पर, शब्द "दस लाख रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा २५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २५ की उपधारा (१) में, खण्ड (तेरह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(तेरह-क) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य प्रवर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन तीन व्यक्तियों में से एक महिला होगी.".

धारा ५१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५१ की उपधारा (२) के खण्ड (तीन) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक विशेषज्ञ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की दशा में, एक प्रशासनिक अधिकारी को, जो आयुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जो आरक्षित प्रवर्गों का हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा."

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2003

क्र. 2002-251-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्रमांक 17 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2003.

THE RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 6.
3. Substitution of new Section for Section 17.
4. Amendment of Section 22.
5. Amendment of Section 25.
6. Amendment of Section 51.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2003.

THE RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003.

[Received the assent of the Governer on the 21st April, 2003; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 28th April, 2003.]

An Act to amend the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003. **Short title.**

2. In Section 6 of the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998 (No. 13 of 1998) (hereinafter referred to as the Principal Act), to sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:— **Amendment of Section 6.**

"Provided also that the State Government may, in accordance with the rules framed in this behalf, permit the Vishwavidyalaya, to collaborate with any Institution outside the State of Madhya Pradesh or abroad for carrying out partly or wholly any of its teaching or research activities.".

Substitution of new Section for Section 17.

3. For Section 17 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Recruitment through Technical Education Service.

"17. The post of Registrar and such other cadres of other officers shall be filled from the officers of the Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service. In case of non-availability of such officers, the post shall be filled in by the Kuladhipati by securing the services of suitable officers on deputation.".

Amendment of Section 22.

4. In sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, in clause (xxii), for the words "five lakh rupees" the words "ten lakhs rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

5. In sub-section (1) of Section 25 of the Principal Act, after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(xiii-a) three persons nominated by the Kuladhipati amongst whom one each shall be a person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and General Category out of these three persons one shall be a woman.".

Amendment of Section 51.

6. To clause (iii) of sub-section (2) of Section 51 of the Principal Act, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that atleast one of the three experts shall be nominated from category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes. In case of non-availability of an expert from these categories, one Administrative Officer not below the rank of Commissioner, who belongs to reserved categories, shall be nominated.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.